नियम 9 : सांस्कृतिक, कलात्मक इत्यादि सेवाओं के प्रदाय के मामले में, धारा 13(7) के अधीन विभिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों से मूल्य के समनुपात का अवधारण

उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन, सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन, कार्यक्रम में प्रवेश या समारोह, सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी या वैसे ही कार्यक्रमों में प्रवेश या उनके आयोजन के माध्यम से सेवाओं की और ऐसे प्रवेश या आयोजन की समनुषंगी सेवाओं के प्रदाय के मामले में, जहां सेवाओं के प्रदायकर्ता की अवस्थिति या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता की अवस्थिति भारत से बाहर है और जहां ऐसी सेवाएं यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सेवाओं का मूल्य पृथक रुप से संग्रहीत करने या अवधारण करने के लिए सेवाओं के प्रदायकर्ता या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य मूल्य का अनुपात आवश्यक परिवर्तनों सहित, नियम 5 के उपबंधों को लागू करके अवधारित किया जाएगा।]